

¹[प्ररूप सं. 34ड]

[नियम 44ड देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ(1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार व्यष्टियों के वर्ग या प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले निवासी द्वारा आवेदन का प्ररूप

(इस प्ररूप को भरने से पहले टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष

1. आवेदक का पूरा नाम और पता
2. टेलीफोन, फैक्स नंबर और ई मेल पता
3. प्रास्थिति
4. आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त और निर्धारण अधिकारी
5. स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्या
6. सीआईटी (ए) या अधिकरण के समक्ष अपील संख्यांक और अपील की तारीख, जहां कहीं लागू हो, की विशिष्टियां
7. निर्धारण वर्ष, निर्धारण आदेश की तारीख और वह धारा, जहां लागू हो, जिसके अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा, मूल आदेश पारित किया गया था (निर्धारण आदेश और अपीलीय आदेश की प्रति संलग्न करें)
8. अन्तर्वलित विधि या तथ्य का (के) प्रश्न, जिस (जिन) पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है
9. क्या मद सं0 8 में निर्देशित संव्यवहार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना है ?
10. यदि हां, घटना का नाम
11. मद सं0 8 में निर्देशित प्रश्न (प्रश्नों) से संबद्ध सुसंगत तथ्यों का विवरण

12. पूर्वोक्त प्रश्न (प्रश्नों) के संबंध में, आवेदक के, यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन वाला विवरण

13. संलग्न दस्तावेजों या विवरणों की सूची

14. आवेदन के साथ संलग्न फीस संदाय के ब्यौरे, जैसे कि संव्यवहार संदर्भ सं0/चालान पहचान संख्या/संदाय पहचान संख्या आदि

.....
हस्ताक्षर

(आवेदक)

सत्यापन

मैं,, पुत्र/पुत्री/पत्नी [पूर्ण नाम स्पष्ट अक्षरों में] श्री सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त और उपाबंध (उपाबंधों) में, जिसके अंतर्गत ऐसे उपाबंध (उपाबंधों) के साथ लगे दस्तावेज भी हैं, जो भी कथन किया गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन.....के रूप में अपनी हैसियत में कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को (पदनाम) करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि वह (वे) प्रश्न, जिस (जिन) पर अग्रिम विनिश्चय इप्सित है, मेरे मामले में आय-कर प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है।

आज तारीखको सत्यापित किया गया।

.....
हस्ताक्षर

(आवेदक)

स्थान :.....

टिप्पण :

1. आवेदन अंग्रेजी या हिन्दी में भरा जाएगा ।
2. आवेदन के साथ संदाय का सबूत, नियम 44ड के उपनियम (4) के अनुसार लागू फीस नई दिल्ली में संदेय, अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के पक्ष में भेजा जाएगा । संदाय के ब्यौरे मद सं0 14 के उत्तर में दिए जाएंगे ।
3. मद सं. 3 के उत्तर में, आवेदक यह बताएगा कि क्या वह कोई आवेदक, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यष्टि-संगम या कंपनी है ।
4. मद सं. 8 के संबंध में, प्रश्न वास्तविक या प्रस्तावित संव्यवहार पर आधारित होगा । अनुमानिक प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा ।
5. मद सं. 11 के संबंध में, उपाबंध 1 में आवेदक सुसंगत तथ्यों का ब्यौरेवार कथन करेगा । प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कर प्रभाव को भी वर्णित किया जाएगा ।

6. मद सं. 12 के लिए, उपाबंध 2 में, आवेदक उस प्रश्न (उन प्रश्नों) के संबंध में, जिस पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, विधि या तथ्यों के अपने निर्वचन का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

7. आवेदन, उससे उपाबद्ध सत्यापन, आवेदन के उपाबंध और उपाबंधों के साथ दिए जाने वाले विवरणों और दस्तावेजों को,--

(क) किसी व्यष्टि के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) व्यष्टि द्वारा स्वयं; या

(ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, व्यष्टि के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक्तः अधिकृत किसी व्यष्टि द्वारा:

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यष्टि के पास ऐसा करने के लिए व्यष्टि से वैध मुख्तारनामा हो, जो आवेदन से जुड़ा होगा; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

(ख) एक हिंदू अविभक्त कुटुंब के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके कर्ता द्वारा; और

(ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, कर्ता के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, वहां ऐसे कुटुंब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

(ग) एक कंपनी के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने में सक्षम नहीं है, या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, उसके किसी निदेशक द्वारा; या

(ii) जहां, किसी अपरिहार्य कारण से, प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, वहां इस संबंध में कंपनी द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यष्टि द्वारा:

परंतु उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यष्टि के पास ऐसा करने के लिए कंपनी से एक वैध मुख्तारनामा है, जो आवेदन से जुड़ा होगा; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

(घ) एक फर्म के मामले में,--

(I) हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने में सक्षम नहीं है, या जहां इस प्रकार से कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

(ड) व्यष्टियों के एक संघ के मामले में,--

(I) संघ के किसी सदस्य या उसके प्रमुख अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया;

(च) किसी अन्य व्यष्टि के मामले में,-

(I) उस व्यष्टि द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी व्यष्टि द्वारा हस्ताक्षरित या डिजिटल हस्ताक्षर; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते के माध्यम से सूचित किया गया ।

उपाबंध 1

उस प्रश्न (उन प्रश्नों) से, जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है,
संबद्ध सुसंगत तथ्यों का कथन

.....
.....

स्थान

तारीख

.....
हस्ताक्षर
(आवेदक)

उपाबंध 2

उस प्रश्न (उन प्रश्नों) के संबंध में, जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, आवेदक के, यथास्थिति, विधि और तथ्यों के निर्वचन वाला
विवरण

.....
.....

स्थान :

तारीख

.....
हस्ताक्षर
(आवेदक)